



लाला महिपल
टॉक

उत्तर में रास्ता तथा दक्षिण में रामरतन चौधरी का मकान स्थित है। अग्रणी/अधीनस्थ में
शंकरलाल पुत्र राजाराम का मकान, पश्चिम में सीधर देवी पत्नी राजराम यादव का मकान,
टॉक में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 207.77 वर्गगज है व जिसकी सीमाएं पूर्व में
पट्टा संख्या 02, बाक ग्राम सीतारामपुरा ग्राम पंचायत मण्डलावर पंचायत समिति व जिना
एवं में बंधक सम्पत्ति, जमना देवी के स्वामित्व व अधिपत्य की एक सम्पत्ति/संखण्ड .
राधा या व अग्रणी/अधियाँ, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की सुविधा के
कुल 10,01,000/रुपये (अक्षरे दस लाख एक हजार रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध करवाया
कम्पनी से ऋण खाता संख्या RJ/TNK/TNK/A000000144 से दिनांक 27.03.2023 को
बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता ऋणी/सहऋणी/गारंटर है। अग्रणी/गारंटर द्वारा प्रणी बैंक/
प्रणी बैंक/कम्पनी से प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अग्रणी/गारंटर,
Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रणी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 The
Securisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

आदेश दिनांक 03.02.2026

असंदेस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002
प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 सिक्यूरिटी इन्फोर्सेशन एण्ड रिकन्स्रुक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल
ऋणी/सहऋणी/जमानती

- 1. दिनेश यादव पुत्र श्री राजराम यादव (ऋणी) पता.वार्ड नम्बर 10, अहीरी का मोहल्ला,
सीतारामपुरा मण्डलावर टॉक राजस्थान, दूसरा पता- पट्टा संख्या 02, वृक संख्या 19, ग्राम
सीतारामपुरा ग्राम पंचायत मण्डलावर पंचायत समिति टॉक जिना टॉक राजस्थान
- 2. श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री दिनेश यादव (सहऋणी) पता-वार्ड नम्बर 10, अहीरी का
मोहल्ला, सीतारामपुरा मण्डलावर टॉक राजस्थान, दूसरा पता-पट्टा संख्या 02, वृक संख्या
19, ग्राम सीतारामपुरा ग्राम पंचायत मण्डलावर पंचायत समिति टॉक जिना टॉक राजस्थान

बनाम
...प्रणी (प्रतिभूत लेनदार)

है।
पत्नी, कर्नाटका बैंक के उपर, शोषिण सेंटर, गुमानपुरा कोटा राजस्थान.-324007 में स्थित
पत्नी, अन्ना सलाई, सैडदापेट, बेंनई,600015 तमिलनाडु व शाखा कार्यालय-341, द्वितीय
"हिन्दुजा इन्वेंस लिमिटेड" जिसका कोर्पोरेट कार्यालय. 167-169, द्वितीय

प्रकरण संख्या
प्रतिष्ठि दिनांक
07/2026
19.01.2026
(पीठासीन अधिकारी कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.)

न्यायालय जिना महिपल टॉक



उपलब्ध ऋण को, बैंक के साथ किये गये ऋण अनुबंध की शर्तों के नियमानुसार नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 05.09.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणीगण के ऋण खाता में बकाया राशि 7,95,634/- (अक्षरों में लाख पितानव हजार छः सौ बौत्तिस रुपये मात्र) दिनांक 01.10.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते हैं। उक्त ऋणी को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 16.10.2024 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में दूक की गई है। ऋणी द्वारा बन्धक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक/कम्पनी को नहीं सम्मलया है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि क पुनर्गठान हेतु रहन श्रुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक / कम्पनी को जारी पुलिस इमपद संभालने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक/ कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया। न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की सिट याचिका संख्या 6256/2016 पंजकमर व अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर व अन्य, में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2016 के अनुसार ऋणी को धारा 13 की उप धारा 2 के तहत नोटिस जारी किया जाने व शामिल के पश्चात धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः ऋणी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत स्पष्ट प्राधान है, जो इस प्रकार है-

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset-

(1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated of found- to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him-

(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and

(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

काठमाडौं, ०३.०२.२०२६
(कर्मचारी आयोग)
[Signature]



आदेश आज दिनांक ०३.०२.२०२६ को स्थल न्यायालय में सजाया गया।

वहन किया जायगा।

वर्तमानता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमां में देय है तो संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा प्रति भिजवाइ जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलान हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, टांक को पर्याप्त पुलिस जाफा भेज्या कराने हेतु निर्णय स्वयंन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकत कानून व्यवस्था बनाये सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी संक्षम न्यायालय को पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह एसेट्स एण्ड एनकोर्समेंट ऑफ सिविलियरीटिडिस्ट्रिक्ट एक्ट २००२ की धारा ३१ के प्रावधानों की रहन रखी गई सम्पत्ति को भी सिविलियरीटिडिस्ट्रिक्ट एण्ड लोकन्सर्टवशन ऑफ फाईनेशियल नियम प्रति तहसीलदार टांक को भोजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी का होना।

है, यदि नियमां के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रवाधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त २.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के बापव पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कथालय से करावे।
१.रहन श्रदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्भलवाते वकत यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता

को सम्मलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :
पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहन श्रदा सम्पत्ति को प्रार्थी आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कवन पर विवेकास कर उनके द्वारा दिये गये बापव नियमां के अनुसार समस्त कार्दवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्वयंन प्राधिकृत अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का बापव पत्र पेश किया कि

in his opinion, be necessary.

cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may,
(1) the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or
(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section